Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बारां में पटवारी को 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *09 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झालावाड इकाई द्वारा आज मंगलवार को बारां में कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार मालव पटवारी हल्का भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बांरा को 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि छीपाबड़ौद बारा में स्थित उसकी भूमि का नामांतरण खोलने एवं मुआवजा राशि दिलवाने की एवज में आरोपी विनोद मालव हल्का पटवारी भावपुरा व तेजकरण कुशवाहा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी झालावाड इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा छीपाबडौद, बारां में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **विनोद कुमार मालव पुत्र श्री राधेश्याम ग्राम गोवर्धनपुरा तहसील व थाना छीपाबडौद जिला बारां हाल पटवारी, हल्का भावपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां** को परिवादी से 30 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।